श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर उन्नयन महा अभियान का शुभारंभ

उपमुख्यमंत्री ने बैंक एकाउंट एवं क्यूआर कोड का किया विमोचन

पहले ही दिन दान दाताओं से एकत्र हुई 75 लाख रुपये से अधिक राशि

कवर्धा, 30 दिसंबर (देशबन्धु)। श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर के समग्र उन्नयन, सौंदर्यीकरण एवं भव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर उन्नयन महा अभियान का आज विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मंदिर उन्नयन अभियान के लिए खोले गए बैंक एकाउंट एवं क्यूआर कोड का विमोचन किया। इस डिजिटल सुविधा के माध्यम से अब जिलेवासी, श्रद्धालु एवं दानदाता कहीं से भी सहज रूप से ऑनलाइन दान कर मंदिर के विकास एवं उन्नयन कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। इस अवर पर सांसद श्री संतोष पाण्डेय, पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, पूर्व विधायक श्री योगेश्वर राज सिंह, श्री अशोक साहू, जिला पंचायत सभापति डॉ. बीरेन्द्र साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, उपाध्यक्ष श्री पवन जायसवाल, जनपद उपाध्यक्ष श्री गणेश तिवारी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशी राम धुर्वे, श्रीमती विजयलक्ष्मी तिवारी, श्रीमती सतविंदर पाहुजा सहित समस्त पार्षद, जनप्रतिनिधि, श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव सेवा समिति के सदस्य उपस्थित थे।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह महाअभियान जनसहभागिता, आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क्यूआर कोड से जिले के नागरिक अधिक से अधिक सहयोग कर इस पुण्य कार्य से जुड़ सकेंगे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे इस महाअभियान में सहभागी बनकर भगवान श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव के भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को साकार करें। आज ही इस महाअभियान के शुभारंभ अवसर पर कवर्धा शहर के नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक बढ़-चढ़कर दान कर अपनी श्रद्धा और सहभागिता का परिचय दिया। सभी नागरिकों ने श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर के उन्नयन एवं भव्य निर्माण के लिए हर संभव सहयोग देने का संकल्प लिया।

नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने कहा कि श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर उन्नयन महा अभियान कवर्धा नगर के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। क्यूआर कोड एवं बैंक एकाउंट के माध्यम से आम नागरिक भी अब सरलता से इस पुण्य कार्य में सहभागी बन सकेंगे। उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के नेतृत्व में कवर्धा नगर निरंतर धार्मिक एवं विकासात्मक कार्यों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नगरवासियों से आह्वान किया कि वे बढ़-चढ़कर सहयोग कर भव्य मंदिर निर्माण के संकल्प को साकार करें।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि इस महाअभियान में समाज के हर वर्ग को सहभागी बनना चाहिए, ताकि भगवान बूढ़ा महादेव की कृपा से यह कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव सेवा समिति के पदाधिकारियों को 5 लाख रुपये का सहयोग किया तथा इसके अतिरिक्त आगे 5 लाख रुपये और देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री योगेश्वर राज सिंह ने मंच पर ही 1 लाख 11 हजार 1100 रुपये श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव सेवा समिति को भेंट किए। सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने भी 1 लाख 11 हजार 1100 रुपये, पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू ने 1 लाख 11 हजार रुपये, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने 1 लाख रुपये, तथा जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री गणेश तिवारी ने 2 लाख 21 हजार रुपये का घोषणा किया। इसके साथ ही कवर्धा शहर के नागरिकों ने भी बढ़-चढ़कर दान देकर इस महाअभियान को स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान कवर्धा नगर पालिका के 21 पार्षदों ने अपना एक-एक माह का वेतन तथा पार्षद निधि से एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की। पहले ही दिन शहर के दान दाताओं से 75 लाख रुपये से अधिक राशि संग्रहित हुई। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों, दानदाताओं, सेवा समिति एवं नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनसहयोग से ही धार्मिक स्थलों का भव्य स्वरूप साकार होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्री पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर उन्नयन महा अभियान के माध्यम से यह पावन स्थल देश-प्रदेश में एक नई पहचान स्थापित करेगा।

कोमाखान की छात्रा लकेश्वरी का रविशंकर विश्वविद्यालय हॉकी टीम में चयन

बागबाहरा, 30 दिसम्बर (देशबन्धु)। बागबाहरा विकासखंड के नवीन शासकीय महाविद्यालय कोमाखान में अध्यनरत बीए तृतीय सेमेस्टर की छात्रा कुमारी लकेश्वरी निषाद ने रविशंकर विश्वविद्यालय की हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई है। लकेश्वरी इस महाविद्यालय की प्रथम विद्यार्थी है। जिसका विश्वविद्यालय की हॉकी टीम में चयन हुआ है। लखेश्वरी की इस उपलब्धि से पूरा अंचल गौरवान्वित है। उनका विश्वविद्यालय की हॉकी टीम में चयन होना खेल में रुचि रखने वाले अंचल के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। लकेश्वरी संबलपुर में होने वाली इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट में रविशंकर विश्वविद्यालय की हॉकी टीम की सदस्य के रूप में हिस्सा लेंगी। इस उपलब्धि के लिए लकेश्वरी निषाद और महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारी आदिल अहमद को प्राचार्य डॉ पुरुषोत्तम झा सहित महाविद्यालय परिवार ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

अवैध शराब के 3 मामले, 3 आरोपी गिरफ्तार

सारंगढ़, सरिया और बरमकेला आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही

बिलाईगढ़, 30 दिसंबर (देशबन्धु)। आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश और कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे तथा आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के भंडारण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आबकारी की सारंगढ़, सरिया और बरमकेला टीम ने रविवार को लातनाला किनारे गुडेली में सुन्दरलाल जोल्हे, गोलू मांझी तथा ईश्वर मांझी के द्वारा कच्ची महुआ शराब बनाकर शराब को प्लास्टिक पन्नियों में पैक कर रहे थे। लातनाला किनारे विधिवत तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से उपरोक्तानुसार सामग्री बरामद किया गया। बरामद कच्ची महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके में परीक्षण कर तथा महुआ लाहन को संधारण परिवहन योग्य नहीं होने से सैम्पल को आबकारी टीम द्वारा कब्जा लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34 (1)क, च 34 (2) 59क, का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपीयों को अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। संयुक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद कुमार वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक रामेश्वर राठिया, लोकनाथ साहू तथा आबकारी मुख्य आरक्षक राजेन्द्र खांडे, मोहनलाल चौहान शामिल थे।

फिंगेश्वर में संचालित कृषि महाविद्यालय को अनयंत्र ले जाने के प्रशासनिक आदेश के विरोध में नगर में धरना प्रदर्शन प्रारंभ

लगातार क्रमिक धरना प्रदर्शन महाबंद, चक्का जाम वृहद आंदोलन का निर्णय नगर वासियों ने लिया

फिंगेश्वर, 30 दिसंबर (देशबन्धु)। नगर में पिछले 8 वर्षों से लगातार कृषि महाविद्यालय आईटीआई के भवन में संचालित है शासकीय कृषि महाविद्यालय के भवन निर्माण हॉस्टल निर्माण एवं अनुसंधान हेतु फिंगेश्वर में नगर वासियों की ओर से प्रस्तावित सुरक्षित भूमि जहां की कृषि कॉलेज एवं हॉस्टल के निर्माण हेतु जिला अधिकारी को नगर विकास सेवा संघर्ष समिति सर्वदली हस्ताक्षर के साथ देने के बावजूद भवन निर्माण की प्रक्रिया फिंगेश्वर में प्रारंभ न कर जिला अधिकारी द्वारा 8 दिसंबर को अन्यत्र ले जाने के आदेश एवं भूमि आवंटन के आदेश राजस्व अधिकारी एसडीएम तहसीलदार के प्रस्ताव का हवाला देते हुए एक तरफा आदेश जारी किए जाने से नगर में जन आक्रोश फैल गया है नगर वासियों द्वारा आज आयोजन समिति के तत्वाधान में रानी श्याम कुमारी चौक में काला झंडा लगाकर शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर आक्रोश व्यक्त कर 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन लगातार 12 से 3:00 बजे की धूप में मुख्य चौक में जबरदस्त प्रदर्शन किया इस अवसर पर आसपास क्षेत्र के जामगांव से लगे 18 गांव के जनप्रतिनिधि नगर के वरिष्ठ जन व्यापारी पत्रकार आम नागरिक एवं समस्त वार्ड पार्षद महिलाएं बच्चे युवा ने धरना प्रदर्शन पंडाल में आकर अपना समर्थन एवं हस्ताक्षर दिया उपस्थित आयोजित समिति एवं समस्त नगर वासियों ने कॉलेज के निर्माण में प्रशासन की दोहरी नीति फिंगेश्वर के साथ छल किया जाना बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ एवं लगातार आठ महीना से कॉलेज निर्माण हेतु संघर्ष समिति की कार्यवाही को नजरअंदाज करना इस बात से नगर वीसीयो में जिला अधिकारी एवं प्रशासनिक जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति रोस व्यक्त किया एवं मंच के माध्यम से सभी ने पुरजोर विरोध किया आयोजन समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता भागवत हरित, नगर अध्यक्ष धनराज सूर्यवंशी वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश बन्छोर पूर्व पार्षद कमलेश यादव, वर्तमान पार्षद अनिल चंद्राकर सोशल मीडिया में जानकारी देते हुए कहा कि नगर की ओर से आयोजन समिति की ओर से कृषि महाविद्यालय के विषय पर हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है वह यह की विधानसभा में विधायक एवं मंत्री जी द्वारा महाविद्यालय का निर्माण फिंगेश्वर में कराया जाने को लेकर स्वीकृति मिलने एवं बजट की घोषणा किए जाने से आज हम सभी उनके प्रयासों के के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं एवं 8 साल से संचालित विद्यालय को यहां से ले जाने संबंधी जिला अधिकारी के आदेश का विरोध करते हैं एवं उसे निरस्त करने की मांग करते हैं जिस तरह से हमें हमारे नेताओं द्वारा विद्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृति फिंगेश्वर के लिए दी गई है उसके लिखित आदेश अगर हमें प्राप्त होते हैं तभी हम आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन को स्थगित करेंगे अन्यथा यह आंदोलन दिनों दिन बृहद रूप से होगा।

तेंदुए के हमले से ग्रामीण घायल

डोंगरगढ़, 30 दिसंबर (देशबन्धु)। क्षेत्र के ग्राम लोहझरी के एक ग्रामीण पर तेंदुए द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम लोहझरी निवासी केज़उ राम कंवर रोज की तरह लकड़ी तोड़ने के नाम पर जंगल गया था उसी वक्त तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगढ़ लाया गयाए जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। तेंदुए के हमले की खबर फैलते ही गांव में भय का माहौल है। ग्रामीण जंगल जाने से डर रहे हैं और वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है किए तेंदुआ जंगल से गांव के आसपास भटक कर आया हैए जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है।

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, Sanjay kumar S/O Jaddu Sao resident of junior mig -c/473-b,ward no.20, Vaishali Nagar, bhilai Distt -durg cg.490023 have changed my old name Sanjay kumar S/O Jaddu Sao so in future I should be recognized by my new name that is Sanjay kumar Sao S/O Jaddu Sao in all Government and other documents.

Sanjay kumar Sao
junior mig -c/473-b,
ward no.20, Vaishali
Nagar, bhilai
Distt -durg cg.490023

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, Paras murlidhar bachwani D/o-Murlidhar bachwani resident of , Lig-9,housing board,lal bagh sindhi colony,rajnandgaon c.g. (491441) have changed my old name Paras murlidhar bachwani D/o- Murlidhar bachwani so in future I should be recognized by my new name that is paras thakuwani

W/o vishal thakuwani in all Government and other documents.

ParasTthakuwani
Lig-9,housing board, lal
bagh sindhi colony,
rajnandgaon c.g. (491441)

न्यायालयः-श्रीमान् प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बलौदाबाजार छ.ग.
(पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार वर्मा)

उपस्थिति हेतु समंस

आदेश 5 नियम 20-1 व्य.प्र.स.
प्रो.क्रं. 1029 प्र.क्रं. 18/2024
प्रति,
चंद्रशेखर शर्मा उम्र 52 वर्ष पिता रामनारायण शर्मा निवासी छ.ग. घण्टाघर के पास कोरबा तहसील व जिला कोरबा छ.ग. वर्तमान पता व्याख्याता हायर सेकेण्ड्री स्कुल एन.सी.डी. स्कुल कोरबा पो. तह. जिला कोरबा छ.ग.।
सौरभ शुक्ला बनाम शकुन्तला वगै., आवेदक

सौरभ शुक्ला उम्र 41 साल पिता स्व. शिवनारायण शुक्ला निवासी पुरानी बस्ती जगन्नाथ मंदिर के पास जिला रायपुर छ.ग., रजनी शुक्ला उम्र 64 साल पति स्व. शिवनारायण निवासी नया बस स्टैण्ड पितल कारखाना के पीछे बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार, स्वाती दुबे उम्र 45 वर्ष पति मनोज दुबे निवासी शास्त्री शारदा गैस गोदाम के पीछे बिलासपुर छ.ग., रिचा पुरानिक उम्र करीब 38 साल पति नवनीत पुरानीक निवासी राम मंदिर के सामने रोहिणीपुरम रायपुर छ.ग., ममता तिवारी उम्र करीब 39 साल पति हरीश तिवारी पिता हरनारायण शुक्ला निवासी अमली पारा नयनपुर तहसील व जिला गरियाबंद छ.ग. मनीश शुक्ला उम्र करीब 37 साल पिता स्व. हरनारायण शुक्ला निवासी मॉवली मंदिर पुराना बस स्टैण्ड के पास बलौदाबाजार छ.ग.। सतीश शुक्ला उम्र करीब 35 साल पिता स्व. हरनारायण शुक्ला निवासी बगीचा शास. उच्चतर मा. विद्यालय के पास थाना व तहसील जशपुर जिला जशपुर छ.ग., रोशनी तिवारी उम्र करीब 31 साल पति अभिषेक तिवारी पिता स्व. हरनारायण शुक्ला निवासी टांकियापारा जूना बिलासपुर छ.ग.। आप अनावेदकगण के विरूद्ध 18/2024 में प्रथम अपील अंतर्गत आदेश 41 नियम 1 सहपठित धारा 96 व्य.प्र.सं. संहिता का व्यवहार वाद संस्थित किया है। आप अनावेदक इस न्यायालय में नियत तारीख 08.01.2026 को दावे के उत्तर देने के लिए उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। इससे संबंधित स्वयं या किसी ऐसे वकील द्वारा उपस्थित हो जिसे तत्संबंध में अनुदेश दिये गये हो और इस दावे से संबंधित सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें। आप अनावेदक को यह निर्देश दिये जा रहे है कि आप इन सब दस्तावेजों को जो आपके कब्जे या शक्ति में हो पेश करें। जिन पर आपको प्रतिरक्षा या मुजराई दावा या दावा आधारित है। यदि आप किसी अन्य दस्तावेजों पर चाहे वह अपने कब्जे में हो या अपना प्रतिरक्षा या मुजराई को दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में हो विसरत करते हुए आप ऐसे दस्तावेज का लिखित कथन के साथ उपलब्ध कराये जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि ऊपर वर्णित की गई पेशी तारीख 08.01.2026 को इस न्यायालय में उपस्थित नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

टीप:- यदि किसी कारणवश उक्त पेशी दिनांक 08.01.2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है अथवा किसी कारणवश कार्य स्थगित हो जाता है तो आगामी कार्य दिवस पर प्रकरण की सुनवाई होगी।

आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मुद्रा लगाकर दिया गया।

सील
(राकेश कुमार वर्मा)
प्रथम जिला न्यायाधीश
बलौदाबाजार छ.ग.

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला-रायपुर (छ.ग)

क्रमांक /4227 / न.पा.नि./ लो.नि.वि./2025-26 बीरगांव, दिनांक 30/12/2025

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम बीरगांव क्षेत्रान्तर्गत अधोसंरचना मद अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में सी.सी. रोड, आर.सी.सी. नाली, पेविंग कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य (विभिन्न प्रकृति के 71 कार्य) के लिए छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा प्रपत्र "ए" में छत्तीसगढ़ के पी.डब्लू.डी. भवन एस.ओ.आर. 01.01.2015, रोड एस.ओ.आर. 01. 01.2025 एवं इलेक्ट्रीकल एस.ओ.आर 2020 (निविदा तिथि तक संशोधित) अनुसार प्रतिशत दर पर कार्य संपादन हेतु (आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 22.01.2026 एवं निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30.01.2026) तीन लिफाफा पद्धति में निविदा आमंत्रित है।

उपरोक्त कार्यो की अनुमानित लागत, अमानत राशि, निविदा की शर्ते, निविदा दस्तावेज व कार्य से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के लोक निर्माण शाखा से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही www.nagarnigambirgaon.com व यह जानकारी नगर पालिक संचालनालय की वेबसाईट निगम बीरगांव की वेबसाईट से भी www.uad.cg.gov.in डाउनलोड / प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम बीरगांव ,जिला-रायपुर (छ.ग.)

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, MANISH LAHARE S/o KUNWAR LAL LAHARE resident of QTR NO. 4/B STREET 52 SECTOR 6 CIVIC CENTRE BHILAI DISTT DURG (C.G.) 490006 have changed my old name MANISH LAHARE S/o KUNWAR LAL LAHARE so in future I should be recognized by my new name that is MANISH KUMAR LAHARE S/o KUNWAR LAL LAHARE in all Government and other documents.

MANISH KUMAR LAHARE
QTR NO. 4/B STREET 52
SECTOR 6 CIVIC CENTRE
BHILAI DISTT DURG
(C.G.) 490006

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I, Vicky Ahuja S/o Ramesh Kumar Ahuja resident of H.no.-810, asha nagar, titurdih, durg (C.G.) 491001 have changed my old name Vicky Ahuja S/o Ramesh Kumar Ahuja so in future I should be recognized by my new name that is Vicky kumar Ahuja S/o Ramesh Kumar Ahuja in all Government and other documents.

Vicky kumar Ahuja
H.no.-810, asha
nagar, titurdih, durg
(C.G.) 491001

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के आवासीय भूखण्डों / आवासीय भवनों को फ्री-होल्ड के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में छ.ग. शासन एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश दिनांक एफ-01-100/2009/32 रायपुर दिनांक 30.12.2011 समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2012 व पत्र कमांक एफ 3-4/2020/32 दिनांक 31.12.2020 के परिपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डल के निम्न हितग्राही के द्वारा जिनके नाम व कॉलोनी का नाम एवं आवासीय भूखण्ड/भवन / दुकान कमांक छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित है, को फ्री होल्ड के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अंदर यदि कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

मण्डल द्वारा निर्मित कॉलोनी सामान्य आवास योजना लेबर कॉलोनी, राजनांदगांव में आबंटी का नाम श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव पिता स्व. श्री रामनारायण श्रीवास्तव भवन क्रमांक एस.आई.एच.एस.-165 राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़, गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव

छ.ग. गृह निर्माण मण्डल के आवासीय भूखण्डों / आवासीय भवनों को फ्री-होल्ड के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में छ.ग. शासन एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश दिनांक एफ-01-100/2009/32 रायपुर दिनांक 30.12.2011 समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2012 व पत्र कमांक एफ 3-4/2020/32 दिनांक 31.12.2020 के परिपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डल के निम्न हितग्राही के द्वारा जिनके नाम व कॉलोनी का नाम एवं आवासीय भूखण्ड/भवन / दुकान कमांक छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित है, को फ्री होल्ड के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अंदर यदि कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

मण्डल द्वारा निर्मित कॉलोनी दीनदयाल आवास योजना मनकी (प्रथम चरण), राजनांदगांव में आबंटी का नाम श्री गजानंद शर्मा पिता स्व. श्री दगडूलाल जी शर्मा भवन क्रमांक एल.आई.जी. 96, मनकी (प्रथम चरण) राजनांदगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़, गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-राजनांदगांव

पीरामल फाइनैंस लिमिटेड
सीआईएनः L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 601, छठा तल, पीरामल अमिति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कार्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई - 400 070-टी 91 22 3802 4000
शाखा कार्यालयः डकबैक हाउस प्रथम तल, कला मंदिर के सामने, 41 शेक्सपियर सरणी कोलकाता- 700017
सम्पर्क व्यक्तिः 1. काजी अब्दुल मोजम्मेल- 9830544300, 2. वरुण कुमार-8445422518

ई-नीलामी बिक्री सूचना-नई बिक्री

पीरामल फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः पीरामल कैपिटल ऐंड हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर्जदार/रों से बकाया राशि की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति का भौतिक कब्जा लिए जाने के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा अचल सम्पत्ति, यहां नीचे वर्णितानुसार, का 'जैसा है जहां है आधार' 'जो है जैसा है' तथा 'जो भी है वहां है आधार' पर क्रय करने हेतु ऑफर्स आमंत्रित हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/ शाखा/ कर्जदार/सह- कर्जदार/ गारंटर	मांग सूचना तिथि एवं राशि	सम्पत्ति पता-अंतिम	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (आरपी की 10 प्रतिशत)	कुल बकाया राशि (27-12-2025)
(ऋण कोड संख्या: 03900002625, रायपुर (शाखा), मनबीर एस (कर्जदार) परमजीत सिंह (सह कर्जदार 1)	दिनांक: 29-10-2019, रु. 22,04,775/-, (रु. बाईस लाख चार हजार सात सौ पचहत्तर मात्र)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड: पुरानी दुकान नं. 2/595, नई दुकान नं. 38, भू तल, पी.एच. नं. 114, ख. नं. 271 पार्ट, टिकरा पारा, नेहरूनगर वार्ड नं. 38 तहसील/जिला-रायपुर रायपुर छत्तीसगढ़ 492001	रु. 15,20,000/- (रु. पन्द्रह लाख बीस हजार मात्र)	रु. 1,52,000/-, (रु. एक लाख बावन हजार मात्र)	रु. 53,78,743/- (रु. तिरेपन लाख अठहत्तर हजार सात सौ तैंतालीस मात्र)

ई-नीलामी की तिथिः 03-02-2026, पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 02.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः 02-02-2026, अप. 4.00 बजे से पूर्व

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया www.piramamfinance.com/Auction.html में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें अथवा हमको piramal.auction@piramal.com पर ई-मेल भेजें।
कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को सरफासी ऐक्ट के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस
उपरिवर्णित कर्जदार/गारंटर को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) सूचना में उल्लिखितानुसार राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व दिनांक तक उपार्जित ब्याज के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली कर्जदार/गारंटर से ब्याज व लागत के साथ की जाएगी।
कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सर्वसाधारण कृपया ध्यान दें कि यदि उपरि निर्धारित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है, तो सुरक्षित लेनदार निजी संधि के माध्यम से प्रतिभूति प्रवर्तन कर सकता है।

दिनांकः 31-12-2025
स्थानः रायपुर

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
पीरामल फाइनैंस लिमिटेड

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :- 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सर्किल कार्यालय :- 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के अधीन। अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फायनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) ("उक्त कर्जदार(रों)") से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशियां, जो नीचे भी दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा, उक्त कर्जदार(रों) को, एक बार पुनः, यहां नीचे दी गई राशियों का भुगतान सीजीएचएफएल को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक, ऋण अनुबंध के साथ पठित अन्य दस्तावेजो/प्रलेखों, यदिकोई, जो उक्त कर्जदार(रों) द्वारा निष्पादित किया गया है, के तहत देय आगे ब्याज सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने हेतु सूचना दी जाती है। उक्त कर्जदार(रों) द्वारा ऋण की प्रतिभूति के लिए निम्नलिखित आस्तियां सीजीएचएफएल के पास बंधक रखी गई हैं।

क्र सं.	कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)
1.	(ऋण खाता क्रमांक LNHLRP1000128916 (पुराना) 51200000819471 (नया) LNHERP1000128922 (पुराना) 51100000559480 (नया) (रायपुर शाखा) श्री प्रशांत कुमार तिवारी (कर्जदार) श्री योगेश कुमार तिवारी, श्री पुष्पलता तिवारी (सह-कर्जदार)	08-12-2025 रु. 23,21,676/- 03-12-2025 तक	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति खसरा नंबर 167/116 (नया खसरा नंबर 167/188) पटवारी हल्का नंबर 53 प्लॉट नंबर 25, क्षेत्रफल परिमाप 0.009 हेक्टेयर (यानी 1014 वर्ग फीट), वार्ड नंबर 9 आर.एन.एम. अहिवारा, ब्लॉक धमधा, शिव नगर मौजा कुम्हारी, तहसील भिलाई 3, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़-490042, चौहद्दरी : उत्तरः विक्रेता की अधिशेष भूमि, दक्षिणः खसरा नंबर 167/16 की भूमि, पूर्वः विक्रेता की अधिशेष भूमि, पश्चिमः रास्ता

यदि उक्त कर्जदार सीजीएचएफएल को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहेंगे, सीजीएचएफएल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अधीन उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। उक्त कर्जदार उक्त अधिनियम के तहत, सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त आस्तियां बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरित नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा तदधीन विरचित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन हेतु अभिप्रेरित करता है, उक्त अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा/अथवा आर्थिक दण्ड का भागी होगा।

स्थान : दुर्ग
तिथि : 31-12-2025

हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
वास्ते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फायनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)

ICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंज़िल, सतपाल चैंबर्स, ढांड कॉम्प्लेक्स, राजभवन के पीछे, गौरव पथ, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001

सार्वजनिक सूचना - प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी
[नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय की सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत सहपठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी की गई है।
सर्वजन तथा व्यक्तिगत रूप से कर्जदार(रों) एवं ज़मानतदार(रों) को इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गई अचल संपत्ति संरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/ अधिभारित है। उनका भौतिक अधिग्रहण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (संरक्षित ऋणदाता) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कर लिया गया है एवं दर्शाए विवरण अनुसार उनके द्वारा ‟जहाँ है जैसी है”, ‟जैसी है वैसी है” एवं ‟जिस भी स्थिति में है” के आधार पर अचल संपत्ति के विक्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं :-

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/ ज़मानतदार(रों) के नाम/ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्तियों का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई है	बकाया राशि (रु. में)	सुरक्षित मूल्य (रु. में) / धरोहर राशि जमा (रु. में)	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
1.	मेसर्स मंगल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार), पंकज अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, प्रदीप कुमार अग्रवाल, बबीता अग्रवाल (सह-कर्जदार), 016151000059, 016155000050, 016155000049.	ऑफिस नंबर बी-05, श्री नारायण प्लाजा, मौजा- जूना, बिलासपुर, पीएच नंबर 22/34, वार्ड नंबर 24, शिवाजी नगर वार्ड, डायवर्जन शीट नंबर 8, ब्लॉक नंबर 5, प्लॉट नंबर 291, खसरा नंबर 589/21, 599/6, 589/4, 589/7, 599/4, 589/5, 599/2, 590/3, 917/3 क्षेत्रफल 470.29 वर्ग फुट/43.707 वर्ग मीटर। ज्ञात ऋणभार- मेसर्स मंगल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने डीआरटी, जबलपुर के समक्ष प्रतिभूतिकरण अपीलें दायर कीं, जिनका शीर्षक एसए/549/2025 और एसए/550/2025 है, जो अभी न्याय निर्णयन हेतु लंबित हैं। हालाँकि, प्रकाशन तिथि तक कार्यवाही पर रोक लगाने संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।	रु. 12,51, 13,803/- (दिसंबर 01, 2025 तक)	रु. 59,50, 000/- / रु. 5,95, 000/-	जनवरी 23,2026 को सु. 11:00 बजे से दो. 01:00 बजे तक	फरवरी 06,2026 को सु. 10:30 बजे से

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी संस्था **मेसर्स नेक्सझेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** की वेबसाइट **(URL Link-https://disposalhub.com)** पर संचालित होगी। बंधककर्ताओं/ सूचना प्रेषितकर्ताओं को **फरवरी 05, 2026** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर इस/इन संरक्षित संपत्ति(यों) की बिक्रि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।
संभावित बोलीकर्ता(ओं) को बयाना राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम **ई** देखें) जो **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, सतपाल चैंबर्स, ढांड कॉम्प्लेक्स, राजभवन के पीछे, गौरव पथ, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001** में **फरवरी 05, 2026** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात् वे अपना प्रस्ताव उपरोक्त वर्णित वेबसाइट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान साक्ष्य अर्थात बैंक डीडी पावती की स्कैन इमेज (छायाप्रति) **फरवरी 05, 2026** तक **शाम 05:00** बजे से पूर्व जमा करें। यदि संभावित बोलीकर्ता(ओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल रहते हैं, तो वे **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, सतपाल चैंबर्स, ढांड कॉम्प्लेक्स, राजभवन के पीछे, गौरव पथ, रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001** में निविदा प्रलेखों की हस्ताक्षरित प्रति को **फरवरी 05, 2026** को **शाम 05:00** बजे से पूर्व तक जमा करवा सकते हैं। बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर किसी भी राष्ट्रीयकृत/ शैड्यूल्ड बैंक द्वारा **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड** की **बिलासपुर** शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए।
संपत्ति निरीक्षण, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक** कर्मचारी के फोन नंबर **9324948920** पर संपर्क करें।
कृपया नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसी **वैल्यूट्रस्ट कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** इस संपत्ति की बिक्री में सुगमता हेतु सलंग्न है।
प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण दर्शाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट **www.icicibank.com/n4p4s** पर संपर्क करें।

तिथि : दिसंबर 31, 2025
स्थान : रायपुर (बिलासपुर)

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड